P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मध्याह्न भोजन योजना एक अवलोकन

आशा रानी
शोधकर्त्री,
लोक प्रशासन विभाग,
चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय,
सिरसा, हरियाणा

सारांश

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर संचालित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पहली से पांचवी तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को 50 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह तीन किलोग्राम गेहूं और चावल दिये जाने की व्यवस्थता की गई थी। परन्तु बच्चों को पोषण देने के लिए कच्चा गेहूं व चावल उपलब्ध करवाए जाते थे। इसलिए बच्चे कच्चे अनाज को अपने घर ले जाते थे और उनके परिवार के सदस्यों के बीच बंट जाने से बच्चों को पूरा पोषण प्राप्त नहीं हो पाता था। इस योजना से बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के बाद बच्चों को विद्यालय में ही पके हुए भोजन देने की व्यवस्था की गई। इस निर्देश के बाद मध्याह्न भोजन योजना को पहली से पांचवीं कक्षा से बढ़ाकर पहली से आठवीं कक्षा तक लागू किया गया।

मध्याह्न भोजन से यह अभिप्राय है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को मध्याह्न में स्वादिष्ट एवं पोषक भोजन प्रदान करना। पोष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को दोपहर के समय बच्चों को मुफ्त में खिलाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत ही भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित समय पर निश्चित अनाज व धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।[1]

मुख्य शब्द : मध्याह्न, भोजन, योजना, शिक्षा, विद्यार्थी, विद्यालय, कार्यक्रम, पोषक, सामग्री।

प्रस्तावना

'मध्याह्न भोजन योजना' विद्यालय भोजन कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है जो भारत में 1960 के दशक में आरम्भ की गई। इसका तात्पर्य यह है सभी विद्यालयों के कार्य दिवसों में बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त प्रदान किया जाए। सुबह घर से भूखे चल के आए हुए विद्यार्थियों को भोजन करवाना, स्कूल के छात्रों की संख्या और उपस्थिति बढ़ाना, सभी जातियों के विद्यार्थियों के बीच में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना, कुपोषण के बारे में जानकारी देना, महिलाओं को रोजगार देकर उनका सशक्तीकरण करना आदि इस योजना के मूलभूत उद्देश्य हैं। इस योजना का अपना ही एक इतिहास है। सन् 1923 में तमिलनाडू से इस योजना की शुरूआत हुई और खासकर 1960 के दशक में तत्कालीन मुख्यमन्त्री के0 कामराज ने इसे पूरे राज्य में फैलाया और एम.जी. रामचन्द्रन के काल में यह योजना ओर भी आगे बढ़ी। सन् 1982 के बाद तो इसे भारत के अधिकतर राज्यों ने अपना लिया। 28 नवम्बर 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका मार्ग प्रशस्त किया। तमिलनाड के विद्यालयों में बच्चों की अप्रत्याशित वृद्धि ने इस योजना की सफलता को सिद्ध किया है।[2]

शिक्षा आधुनिकीकरण और मानवीय विकास का मूल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोटी और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करना है ताकि उसका जीवन सही दिशा ग्रहण कर सके। शिक्षा संस्कृति, अर्थ और राजनीति तीनों का सम्मिश्रण है जो कि विकास प्रक्रिया को मापने का एक सही साधन है। विद्यालय शिक्षा का मुख्य अंग विद्यार्थी है क्योंकि वे देश का भविष्य है और शिक्षा उनका मुख्य आधार है। शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के विकास के लिए भारत की केन्द्रीय सरकार भिन्न भिन्न पहलुओं के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जैसे कि प्राथमिक और उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृति देना, होस्टल की

सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षण साधनों के लिए सहायता प्रदान करना, आश्रम जैसे स्कूलों को खोलना और उनका संचालन करना, विद्यार्थियों को कपड़े और वर्दी प्रदान करना, अनुसूचित और जनजाति के छात्रों को शुल्क से छूट देना, प्राथमिक कक्षा से उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृतियां प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का प्रबन्ध करना तथा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि।[3]

शिक्षा का अर्थ

'शिक्षा' शब्द संस्कृत में 'शिक्ष्' धातु से बना है– 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना, अध्ययन करना, ज्ञानर्जन करना। इसका प्रेरणार्थक रूप सिखाना है। शिक्षा एवं विद्या शब्दों का प्रयोग सीखने, सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।

अंग्रेज़ी भाषा में 'एजुकेशन शब्द हिन्दी के शिक्षा' शब्द का ही रूपान्तर है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पति लेटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। शिक्षा के अर्थ में ही लेटिन के दो शब्द एजूकेयर और एजुसीयर भी है।

एजुकेटम –प्रशिक्षण, शिक्षण

एजुकेयर –शिक्षित करना, बाहर निकालना, आगे बढ़ाना

एजुसीयर –विकसित करना, बाहर निकालना

काण्ट के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है।[4]

शिक्षा के स्तर

भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा को कई स्तरों में बाँटा गया है जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक व उच्च स्तर पर शिक्षा। इन सभी स्तरों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कि ज्ञान के विस्फोट के मद्दे नजर रखते हुए सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनुकूलता स्थापित करने हेतु बालक को अल्प आयु से ही समायोजन क्षमता में वृद्धि करने के अभ्यास की जरूरत है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्भव का जो मूल कारण रहा है, उसके पीछे शिक्षाविदों का एक मात्र मन्तव्य बालक को उन सभी अभावों से दूर रखना है जो उसके व्यक्तित्व में सामाजिक गतिशालता के फलस्वरूप असंतुलन पैदा करते है। पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थानों का वातावरण अनौपचारिक एवं परिवार जैसा रखने पर बल दिया जाता है। तीन से छह वर्ष तक की आयु पूर्व प्राथमिक शिक्षण हेतु सर्व मान्य है। बालक के सभी प्रकार के विकास द्रुत गति से होते हैं। समूह में रहकर वह सहभागिता सीखे, विद्यालय में जाकर वह असुरक्षा की भावना से मुक्त हो, प्रकृति के साथ स्वच्छंद रूप में रहकर स्वयं अपने अनुभवों से सीखे इत्यादि कुछ ऐसे आधारभूत उद्देश्य रहे हैं, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बढावा दिया है।[5]

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा का प्राथमिक चरण है–'प्राथमिक शिक्षा'। भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की पहली सीढ़ी प्राथमिक शिक्षा है यह वह बुनियाद है जिस पर बच्चे की समूची शिक्षा प्रणाली आधारित है। इस पर ही बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावात्मक योग्याताओं का विकास निर्भर होता है। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की शिक्षा की समुचित देखभाल की जाए तो उसकी माध्यमिक शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगती है। श्री के. जी. साइयसन् ने ठीक कहा है–''प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि देश की समूची जनता के साथ इस का संबंध है यह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन को स्पर्श करती है और राष्ट्रीय आदर्श और चरित्र के निर्माण में किसी अन्य क्रिया सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक क्रिया की अपेक्षा अधिक काम कर सकती है।[6]

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का अर्थ वह शिक्षा है जो द्वितीय या माध्यमिक अवस्था में दी जाती है। एक बच्चे की स्कूली शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है– प्राथमिक शिक्षा से पहले, प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा।

प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा बचपन के शुरू में दिये जाने से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा बचपन से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा किशोरावस्था से संबंधित है। अगर हम कहें कि प्राथमिक शिक्षा औपाचारिक शिक्षा की पहली अवस्था है और महाविद्यालय शिक्षा अंतिम अवस्था है तो माध्यमिक शिक्षा मध्य में आती है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) के अनुसार, ''वह शिक्षा जो कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और महाविद्यालय शिक्षा शुरू होने से पहले समाप्त होती है उसे माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा 11–17 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। इस आयोग ने इसे दो भागों में बांटा है

1. तीन वर्ष की अवधि की मिडल या जूनियर सैकेण्डरी स्टेज पर आधारित।
2. चार वर्ष की अवधि की उच्च माध्यमिक अवस्था।[7]

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों की उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. मध्याह्न भोजन योजना के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षकों व अभिभावकों के दृष्टिकोण को जानना।
4. इस योजना के कारण शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर का अध्ययन करना।
5. मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में वित्त की उपलब्धता व भ्रष्टाचार के स्तर को जानना।
6. भिन्न–भिन्न स्तर पर सहयोग देने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों का अध्ययन करना।
7. मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने में आने वाली बाधाओं के बारे में जानना।
8. मध्याह्न भोजन योजना को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

मध्याह्न भोजन योजना एक दृष्टि में

मध्याह्न भोजन योजना विश्व की महान योजनाओं में से एक है जिससे पूरे देश में 12.65 लाख विद्यालयों/शिक्षा प्रतिभूत केन्द्रों में 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का एक लम्बा इतिहास है। सन् 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा वंचित छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना से जोड़ा गया और सन् 1980 के दशक तक गुजरात, केरल, तमिलनाड और केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी ने अपने संसाधनों से इस योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाया जो उस समय प्राथमिक स्तर तक पढ़ रहे थे। इसके बाद 1990–91 तक तो 12 राज्यों ने इस योजना को पूर्णताः/अंशतः अपना लिया।

यद्यपि यह योजना तमिलनाड में आरम्भिक स्थिति में थी परन्तु इसकी सफलता ने इसे चरमसीमा तक पहुंचा दिया। यह योजना इतनी लुभावनी दिखाई दी कि सन् 1995 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव अभिभूत हुए और कहा कि ये योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इस प्रकार यह योजना ''नैशनल प्रोग्राम फार न्यूट्रीशन स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन'' के नाम से आरम्भ हुई। 1997–98 में इस योजना को देश के सभी खण्डों में लागू किया गया। सन् 2002 तक इस योजना को बढ़ाकर न केवल पहली कक्षा से पाचवीं तक बल्कि 'शिक्षा गारंटी योजना' (ई.जी.एस.) और 'वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा' (ए.आई.ई) केन्द्रों तक भी बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय सहायता योजना के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय कार्य दिवस पर प्रति विद्यार्थी को 100 ग्राम अनाज दिया गया और 50 रूपये प्रति क्विंटल तक माल ढुलाई के लिए सबसीडी दी गई।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2001–02 में 18.67 लाख टन चावल का आबंटन हुआ था जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 21.48 लाख टन हो गया। वर्ष 2008–09 में गेहूं के आबंटन में कमी आई जैसे वर्ष 2001–02 में 9.96 लाख टन गेहूं का आबंटन किया गया था जबकि वर्ष 2008–09 में गेहूं का आबंटन मात्र 4.78 लाख टन ही हुआ। वर्ष 2001–02 में चावल के कुल आबंटन में 72 प्रतिशत का उपयोग हुआ था जबकि यही मात्रा 2008–09 में बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 2001–02 में गेहूं के कुल आबंटन के 73 प्रतिशत का उपयोग हुआ था जबकि 2008–09 में इसकी मात्रा बढ़कर 91 प्रतिशत तक पहुंच गई।

2011–12 में हरियाणा में सभी जिलों में 85 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया जबकि 75 प्रतिशत अनाज का प्रयोग किया गया और इसमें 38 प्रतिशत अनाज केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया। 2013–14 में भारत सरकार राज्यों में 75 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया तथा राज्यों के द्वारा 75 प्रतिशत अनाज का प्रयोग किया गया तो कुछ राज्यों में कम प्रयोग हुआ। वर्ष 2015–16 में हरियाणा को 65 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया तथा यह आबंटन त्रैमासिक किया जाता है।

ऑडिट के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की कई कमियों का खुलासा हुआ जिसमें यह बात सामने आई है कि शिक्षकों को भोजन पकाने के काम की देखभाल करने व बच्चों को भोजन परोसने में काफी समय खर्च करना पड़ता है और इससे उनके अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और इसका बच्चों के अध्ययन कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।[8]

मध्याह्न भोजन योजना हरियाणा राज्य के परिप्रेक्ष्य में

मध्याह्न भोजन योजना जो कि शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना या स्त्रोत के रूप में उभर कर सामने आ रही है ताकि अधिक से अधिक गरीब व कुपोषित विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपना विकास कर सकें। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बच्चे को अनिवार्य क्षमता प्रदान कर सकती हैं, ताकि वह अपने जीवन में आने वाले हर प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों का डट कर मुकाबला कर सके। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के चार मुख्य बिन्दु हैं, जिन्हे इस प्रकार चिह्नित किया जाता है– शिक्षा तक पहुंचना, छात्रों का नामांकन, नामांकित छात्रों की स्थिति बनाए रखना व उपलब्धियां।

मध्याह्न योजना भोजन योजना को लागू करना इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा सरकार द्वारा एक सराहनीय प्रयास है। शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर तक काफी योजनाएं चलाई गई हैं। सर्वशिक्षा अभियान जैसे सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के छात्रों तक पहुंचाई गई है। इसके बावजूद भी माता पिता की आर्थिक दशा कमजोर के कारण विद्यार्थी अभी भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे माता पिता का विचार है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकते और साथ ही साथ उन बच्चों के श्रम से कमाए गए धन से भी वंचित रह जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माता पिता के इसी दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिए बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया ताकि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो सकें। अक्तूबर 2007 में हरियाणा राज्य शिक्षा से पिछड़े 36 खण्डों के मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई लेकिन 1 अप्रैल 2008 सेयह राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में भी लागू कर दी गई । 2009–10 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए भोजन पकाने का खर्च या व्यय 2.60 रूपये था उसमें से 50 पैसे राज्य सरकार और 2.10 रूपये भारत सरकार वहन कर रही है। आज मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक छात्रों को प्रतिदिन 700 कैलोरी और दो ग्राम प्रोटीन युक्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। 1 अप्रैल 2010 से भारत सरकार ने रसोईया/सहायक का मानदेय बढ़ाया है जो कि प्राथमिक स्तर तक प्रतिछात्र 2.50 रूपये से बढ़ाकर 2.69 रूपये तक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिछात्र 3.75 रूपये से 4.03 रूपये कर दिया और 1 अप्रैल 2011 से तो भारत सरकार के निर्देशानुसार रसोईया/सहायक का मानदेय 1000 रूपये प्रतिमास निश्चित कर दिया गया। 2012–13 में रसोईया/सहायक का मानदेय 1150 रूपये और सन् 2016 में अब 2500 रूपये इनका मानदेय कर दिया गया है।[9]

मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएसपीई), लोकप्रिय मिड–डे मील योजना के रूप में जाना जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख पहल देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण लक्ष्य को हासिल करने से एक है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार के साथ, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अब भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है। इसलिए बच्चों के लिए पोषण, समावेशी शिक्षा, मीडिया आदि के लिए इस कार्यक्रम की सभी आंतरिक और बाहरी स्तरों पर निगरानी, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, प्रभाव अध्ययन, प्रलेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर मार्गदर्शन और विभिन्न गतिविधियों के एकीकरण के माध्यम के द्वारा निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इन महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तत्वावधान में एक तकनीकी सहायता समूह एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।

सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को समुचित रूप से चलाने के लिए मासिक/ त्रिमासिक/ वार्षिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड के प्रत्येक विद्यालय से आंकड़े एकत्रित करके अपने जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को सौंपता है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले के सभी आंकड़ों को संकलित करता है, जिससे राज्य योजना का क्रियान्वयन होता है। राज्य स्तरीय योजना को पूर्ण करने के लिए मासिक/ त्रिमासिक रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है जो जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भेजी होती है। भोजन बनाने का व्यय, रसोईए का मानदेय, रसोईघर की छत तथा रसोईघर के बर्तनों के लिए कीमत का निर्धारण 75:25 के आधार पर होता है। यह खर्च जो कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार 25 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करती हैं। जिले में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या के आधार पर रसोईए के मानदेय और भोजन बनाने के खर्च को आंका जाता है। जिसमें दिनों की संख्या और भोजन बनाने के लिए आए खर्चों के मापदण्ड को बनाया जाता है। वार्षिक कार्य योजना को बनाने के लिए मुख्यालय स्तर और जिला स्तर पर अनेक सभाएँ की जाती हैं और मध्याह्न भोजन योजना को कार्य रूप दे दिया जाता है। इससे संबंधित निम्न सूचनाएँ जिले व खण्ड के प्रत्येक स्कूल को भेजी जाती हैं।[10]

मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया से संबंधित विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर को नीचे दिए चार्ट में दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार है –

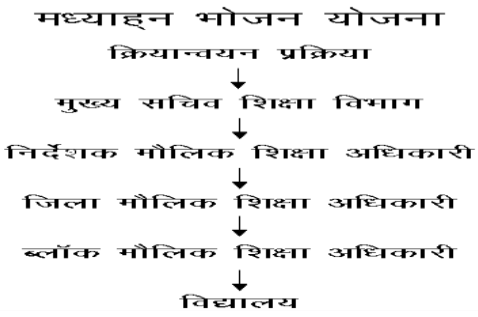

मध्याह्न भोजन योजना का सर्वेक्षण

भारत सरकार ने 1986 में मध्याह्न भोजन योजना पूर्ण रूप से शुरू करने के लिए पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करवाया गया तथा आंकड़े इकट्ठे किये जो इस प्रकार से है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा 13.67 लाख को 15.91 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के छात्रों को मिल रहा है। प्राथमिक स्तर पर तमिलनाड में 47.55 प्रतिशत छात्रों, सिक्किम में 46.14 प्रतिशत छात्रों को, पश्चिमी बंगाल में 47.84 प्रतिशत छात्रों, दादर तथा नगर हवेली में 56.07 प्रतिशत छात्रों को, त्रिपुरा में 59.94 प्रतिशत छात्रों तथा लक्षद्वीप में 60.11 प्रतिशत छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत मध्याह्न भोजन वितरित करके लाभ पहुंचाया गया।

मध्याह्न भोजन सम्पूर्ण भारत में 27.9 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 24.28 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर तथा 7.20 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्याह्न भोजन गांव तथा शहर के प्रत्येक स्तर पर पहुंचाया गया। गांवों में 28.28 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 25.06 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर, 7.15 प्रतिशत उच्च स्तर पर तथा 11.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदान किया गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 24.75 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 20.95 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर, 6.91 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा 11.84 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान किया जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार 22.6 लाख छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा था जिसमें 70.14 प्रतिशत ग्रामीण तथा 29.86 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में भी प्रदान किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सम्पूर्ण देश में मध्याह्न भोजन को 20.25 प्रतिशत सामान्य जाति तथा 12.81 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र प्राप्त करते थे।

इस रिपोर्ट के बाद 1988 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक और सुझाव दिया गया कि अगर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को अगर 1 रूपया हर रोज प्रति छात्र दिया जाए तो 277.32 करोड रू0 अतिरिक्त भार पडेगा। इस प्रकार भोजन के शुरू होने से पहले ही 1991 तक भारत के 17 राज्यों में मध्याह्न भोजन को राजकीय स्कूलों में अपनाई जा चुकी थी।[11]

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना

शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या से निपटने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा को हर व्यक्ति को सुलभ करवाने की दिशा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री

नरसिम्हाराव ने 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत की। इसी स्कीम को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना तथा जिसमें 300 कैलोरीज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा को दिए जाने के निर्देश हैं जो सिविल रीट पैटीशन न0 196/2001 पीपूलज यूनियन फॉर सिविल लैबेरिट्रीज वर्सस यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 20.04.2004 को माननीय तत्कालीन उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 15.08.2004 से इस योजना राजकीय/ अराजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5वी कक्षा के बच्चों को मिड डे मील के अंन्तर्गत पका पकाया दोपहर का भोजन देने के लिए निर्देश दिए। बाद में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ के पत्र क्रमांक एम.डी.एम.(1) दिनांक 03.10.2007 व पुनः पत्र क्रमाकं एम.डी.एम. (1) दिनांक 17.10.2007 के अनुसार सभी विद्यालयों के मुखियाओं को आदेश दिया गया कि वे 31.10.2007 से पहले अपने विद्यालय में 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मिड डे मील शुरू करें। तब से हरियाणा में भी 6–8 तक के बच्चों को हरियाणा के स्कूलों में दोपहर को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मुफ्त भोजन दिया जा रहा है।[12]

मध्याह्न भोजन योजना विशेषताएं

प्रत्येक योजना व कार्य को पूर्ण करने की कुछ अहम बातें अवश्य होती है, उसका कोई न कोई आधार होता ही है। मध्याह्न भोजन योजना की विशेषताए भी निम्नलिखित हैं–

1. इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरीज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा प्रदान करना है ताकि भारत के सभी बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके।
2. इस योजना का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 700 कैलोरीज तथा 15–20 ग्राम प्रोटीन की ऊर्जा प्रदान करना है ताकि भारत के सभी बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके।
3. इस योजना के तहत अनाज की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाती है तथा खाद्यान्न की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
4. इसके लिये प्रत्येक स्कूल में खाना बनाने के लिए एक महिला समूह को रखा गया है।
5. इस योजना के अन्तर्गत मीठे चावल, सब्जी–पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, दलिया तथा काला चना नमकीन आदि पाँच व्यंजन प्रदान किए जाते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना आवश्यकता

मध्याह्न भोजन योजना को लागू क्यों किया जाए तथा इस योजना की जरुरत या आवश्यकता आदि से संबंधित बातो का वर्णन निम्न प्रकार हैं–

1. प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना।
2. अकाल पीड़ित क्षेत्रों में जमीनी स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी यहायता प्राप्त करना।
3. गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थिति करवाना।
4. कक्षाओं की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना।
5. मध्याह्न भोजन योजना में रसोईये, माल ढुलाई व अन्य कामों में लगे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करवाना।
6. विद्यालयों में छात्रों की संख्या को बढ़ावा देना।
7. प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का पोषण स्तर बढ़ाना।
8. बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना एवं भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए।
9. बालकों को भोजन करने से पहले एवं भोजन के बाद हाथों एवं मुख की सफाई की आदतें डालने के लिए।
10. बैठने के ठीक आसनों का निर्माण करने के लिए।
11. यदि विद्यालय में भोजन का प्रबन्ध न हो तो बच्चे ऐसी चीजें खाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।
12. बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए।

मध्याह्न भोजन योजना सिद्धान्त

किसी भी योजना को लागू करने के लिए कुछ नियम व सिद्धान्त अवश्य बनाए जाते है जिस से योजना को बल मिले। योजना को सुचारु ढ़ंग से चलाने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त इस प्रकार हैं –

1. भोजन की कीमत उचित सीमा के अन्दर ही होनी चाहिए।
2. भोजन पकाते समय आवश्यक तत्वों को नष्ट नहीं करना चाहिए।
3. भोजन बनाते व बाँटते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
4. विद्यालयों में विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने के लिए।
5. रसोई घर में भोजन कक्ष की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।
6. कीटाणु नाशक दवाइयों से भोजन कक्ष व रसोई घर को साफ करना चाहिए।
7. भोजन के साथ स्थानीय मौसम के फल देने चाहिएं।
8. बालकों के लिए दूध का प्रबंध अवश्य करना चाहिए।
9. भोजन कक्ष में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. भोजनालय का प्रबन्ध एक प्रशिक्षित आहार–निर्देशक की देखरेख एवं मार्ग–निर्देशन में होना चाहिए।[13]

सुझाव

मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयनः हरियाणा राज्य का एक अध्ययन विषय पर शोध करने में शोधकर्त्री को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जो शोध क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावित करते हैं। साथ ही शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का भी पता चला जिसकी चर्चा करना शोधकर्त्री न्यायसंगत समझती है और इन्हीं समस्याओं तथा त्रुटियों को आधार मानकर शोधकर्त्री द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं–

1. शोघकर्त्री ने अपने अध्ययन में पाया कि बर्तनों के लिए सरकार की ओर से जो राशि दी जाती है उस राशि का बर्तनों के लिए उचित प्रयोग नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा दी गई राशि से बच्चों की संख्यानुसार बर्तनों की उपलब्धता करवाई जाए ताकि बच्चों को साफ और सुथरे बर्तन मिलें।
2. शोघकर्त्री ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। शोघकर्त्री का सुझाव है कि प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों का महीने में कम से कम एक बार पीने के पानी की उचित व्यवस्था के लिए निरीक्षण करना चाहिए और स्कूल में मुखिया को सख्त हिदायतें भी दी जाएं।
3. शोघकर्त्री ने अध्ययन में पाया कि मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को जो भोजन साम्रगी दी जाती है, विद्यार्थियों को वो भोजन भाता ही नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगभग प्रतिदिन चावल या चावल से बना भोजन ही दिया जाता है जबकि सुझाव है कि बच्चों को उनके मनपंसद व्यंजन जैसे मैगी, नूडल्स, पास्ता आदि दिया जाना चाहिए। मैगी या नूडल्स केवल मैदा के न हो कर कई पौष्टिक अनाज को मिलाकर भी तैयार किया जाना चाहिए और वही भोजन भी दिया जाना चाहिए।
4. शोघकर्त्री के अपने अध्ययन में पाया है कि शिक्षकों को भी अभी तक मध्याह्न भोजन योजना की उचित जानकारी नहीं है इसलिए शिक्षकों को सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संबंधित सेमीनार या सम्मेलन और ट्रेनिंग देकर भी इस योजना की पूर्ण जानकारी से अवगत करवाया जाए और इस योजना से संबंधित पुस्तकें और विभिन्न अखबारों के लेखों द्वारा भी जानकारी दी जानी चाहिए।
5. माता–पिता की जानकारी के लिए दूरदर्शन अखबार मीडिया जैसे संचार के साधनों द्वारा भी इस योजना का प्रचार किया जाता है उन को गौर से इस योजना के संबंध में समझना चाहिए। माता–पिता को भी विद्यालयों में जाकर इसका निरिक्षण करना चाहिए और समय–समय पर विद्यालयों में या दफ़्तरों में अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
6. इस प्रकार की समिति का गठन किया जाए जो भोजन के राशन को ऊपर से लेकर वितरण तक की प्रणाली का रिकार्ड रख सकें ताकि हेरा–फेरी की संभावना को बिलकुल समाप्त किया जा सकें। समिति द्वारा रिकार्ड की एक प्रति जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी साथ की साथ भेजी जानी चाहिए और उसका ब्यौरा बेवसाईट पर भी डालना आदि।
7. राशन की सफाई के लिए सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना होगा क्योंकि विद्यालय में एक महिला होने के कारण राशन पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है। और वो इस कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य की नियुक्ति करना आदि। इससे एक तो रोजगार की प्राप्ति होगी और अन्य कार्य भी सही ढंग से पूर्ण होंगे।
8. सरकार को इस बात का नियमित रूप से ध्यान रखना होगा कि सप्ताह में कभी–कभी दूध, दही व फल अवश्य दिया जावें। ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सकें। पौष्टिक आहार पोषक तत्वों से भरा होगा तो बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास होगा। दूध के साथ–साथ बिस्कुट, ब्रैड आदि भी खाने के लिए दिया जाए ताकि बच्चों को दूध का स्वाद और भी अच्छा लगे।
9. सरकार को चाहिए कि सप्ताह में दिए जाने वाले भोजन में नमकीन व मीठी चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखें।जैसे मीठा मालपुआ, खीर, मीठे फल, नमकीन मैगी आदि। इस प्रकारकी रैसीपीज को भोजन में अवश्य शामिल किया जाए।
10. स्थानीय समुदाय जैसे कि ग्रामीण शिक्षा समिति, महिला संगठन को अवश्य सम्मिलित किया जाएक्योंकि एक महिला गृहिणी होने के साथ–साथ एक अच्छी कुक भी होती है तथा इस योजना के कार्य के प्रबन्धन की मुख्य जिम्मेवारी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की होनी चाहिए अथार्त अधिकारी जाँच करेगें कि महिला संगठन को शामिल किया गया है या नहीं।
11. मध्याह्न भोजन योजना के तहत पंचायतों/नगरपालिकायों/संस्थायों /समुदायों के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। गाँव के सरपंच व शहर की नगरपालिकायों के सदस्यों को विद्यालय में आकर इसका निरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा सख्त व उचित आदेश दिए जाने चाहिए ताकि समय–समय पर मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण भी हो और इस योजना से संबंधित प्रत्येक जानकारी उनके द्वारा गाँव/शहर के प्रत्येक सदस्य को दी जा सकेगी, जिसमें बच्चों के माता–पिता भी शामिल हैं।
12. सप्ताह में एक दिन विद्यालय में बच्चों को ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट, बादाम, काजू आदि पौष्टिकता से भरे नट्स आदि भी अवश्य दिए जाए। अगर हो सके दो दिन जूस का भी प्रबन्ध किया जाए जो कि बच्चों को बहुत ही भाता है।
13. मध्याह्न भोजन योजना के लिए सरकार द्वारा जो फण्ड व अनाज की धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। वो समय पर विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में फण्ड की व्यवस्था मध्याह्न भोजन योजना के लिए नियुक्त किया गया सदस्य/इन्चार्ज व मुख्यध्यापक को ही करनी पड़ती है और उसके लिए धनराशि न होने पर कभी–कभी दूसरे विद्यालयों से अनाज को उधार लेना पड़ता है। इससे एक तो अध्यापक/मुख्यध्यापक को अपनी जेब से रुपये खर्च करने पड़ते है और दूसरा अनाज सही मात्रा में उपलब्ध नहीं पाता। इसलिए सरकार को फण्ड व अनाज आदि की धनराशि सीधे विद्यालयों के बैंक खाते में भेजनी चाहिए।

निष्कर्ष

मध्याह्न भोजन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी

योजना है। भारत के प्राथमिक और उच्च प्राथमिकशिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालयों में बच्चों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत की गई। बच्चों के विकास पर इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पडता है। क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना के साथ–साथ सर्वशिक्षा अभियान कें अंतगर्त छात्रों को दूसरी सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही है। जैसे वर्दी, अनुसूचित जाति के बच्चों हेतू निशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, दुर्घटना बीमा, व वर्तमान समय में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही नगद छात्रवृति के अन्तर्गत प्रथम से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को एक मुक्त राशि के रूप में प्रत्येक मास उपस्थिति के आधार पर अलग–अलग कक्षाओं हेतू अलग–अलग राशि मुहैया करवाई जाती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *http://mhrd.gov.in/hi/mid-day-meal-hindi*
2. *साक्षरता और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, ए–रिपोर्ट, चण्डीगढ़, 2010–11*
3. *सिकलीगर, पी.सी., ''मिड–डे–मील एण्ड स्कूल एजुकेशन प्लानिगं इम्पलीमैंटेशन एण्ड इफैक्टीवनैंस'', कनसपैंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011*
4. *नारंग, सुनीता, ''वशिष्ठ शिक्षा'', कलियाणी पब्लिशर्ज, रोहतक, 2004*
5. *चितौडा, शशि, ''पूर्व प्राथमिक शिक्षा सिद्वांत एवं विधियॉ'' राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2000*
6. *यादव, एच.एस., यादव, सुधा और भाटिया, ''भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना एवं समस्याएं'' टण्डन पब्लिकेशन, लुधियाना, 1988*
7. *सिंह, इन्द्रदेव, शर्मा, कमलेश, ''माध्यमिक शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार'' 20फर्स्ट सैन्चुयरी, पब्लिकेशन, 2003*
8. *सीएजी परफार्मेंस ऑडिट ऑन नैशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रशनल स्पोर्ट टू प्राइमरी (मिड डे मील स्कीम), रिपार्ट संख्या पी.ए. 25, 2008*
9. *जिला मौलिक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, फतेहाबाद (हरियाणा), 2012*
10. *जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, निदेशक हरियाणा सरकार पंचकुला,एक रिपोर्ट, 2011*
11. *खादय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006*
12. *जिला मौलिक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, फतेहाबाद, हरियाणा, 2012*
13. *कवर, रमेश चन्द्र, ''शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा'', अमित ब्रदर्स पब्लिशर्ज, नागपुर, 1995 ।*
14. *www.mdm.nic.in*
15. *www.mid-day-meal.india/hindi.in*